न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 398 / 2024

अनवान : –

1. महेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. हंसराज पुत्र चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. विकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. अजयसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. सावत्री पुत्री चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
6. रूकमा पुत्री चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
7. पूनम पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 23/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 152 / 153 की कुल 9. 3600 हैक्ट भूमि व रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 212 / 131 की कुल 4.7360 हैक्ट व रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 21 / 20 की कुल 1.5050 हैक्ट भूमि वादीगण के दादा चतरूराम पुत्र सालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे चतरूराम पुत्र सालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चतरूराम पुत्र सालुराम का देहांत हो चुका है। चतरूराम पुत्र सालुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंद, मृत्यु प्रमाण पत्र चतरूराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा चतरूराम के नाम दर्ज है चतरूराम का देहांत हो चुका है। चतरूराम के जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 543/534 के खसरा न0 743/1 की कुल 2.2890 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 544/535 के खसरा न0 737/2 की कुल 5.9940 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 152/153 की कुल 9.3600 हैक्ट भूमि में चतरूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 212/131 की कुल 4.7360 हैक्ट व रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 21/20 की कुल 1.5050 हैक्ट भूमि में चतरूराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 398/2024

अनवान : –

1. महेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. हंसराज पुत्र चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. विकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. अजयसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. सावत्री पुत्री चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
6. रूकमा पुत्री चतरूराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
7. पूनम पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 398 सन 2024 निर्णय दिनांक – 23/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता संख्या 152/153 की कुल 9.3600 हैक्ट भूमि में चतरूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 212/131 की कुल 4.7360 हैक्ट व रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 21/20 की कुल 1.5050 हैक्ट भूमि में चतरूराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:05 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर